"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2013— श्रावण 25, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत् "एन्टी करप्शन ब्यूरो" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 05 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6) .— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बॉयलर क्रमांक C. G./245 को दिनांक 08-08-2013 से 22-08-2013 (15 दिवस) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक 1994/ भू-अर्जन/अ-82/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भोपालपटनम	तिमेड़	11.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	तिमेड़ घाट के पास इन्द्रावती पुल पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन, उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 02 जुलाई 2013

क्रमांक 12/अ- 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	भिलाई	2.372	कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर.	डिस्चार्ज चेनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक 10/अ.- 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा प. ह. नं. 24	0.121	कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर.	गतौरा गखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक 11/अ- 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मड़ई प. ह. नं. 08	0.162	कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी, सीपत.	आर. ओ. बी. एवं रेल पथ निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

रा. प्र. क्र. 17/अ- 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	ऊनी	0.645	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर (छ. ग.)	ऊनीगाड़ाघाट-सोनडीह मार्ग पर लीलागर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 26 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कांसाबेल
- (ग) नगर/ग्राम-नक्टीमुण्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.165 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	276/1	0.093
	276/3	0.069
	276/4	0.057
	276/5	0.105
	273	0.101
	271	0.153
	272	0.065
	295	0.036
	259	0.032
	299	0.502
	306/1	0.162
	307	0.008
	390	0.028
	309	0.045
	310	0.134
	311	0.146
	258/2	0.061
	258/3	0.008
	314	0.053
	258/1	0.061
	313	0.121
	393	0.008
	316	0.016
	391	0.101
योग	24	2.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैना एनीकट योजना की मुख्य नहर चैन क्रमांक 335 से 370 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बिलडेगी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.149 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/1 165/2	0.058
544	0.112
547/2ख	0.084
488/1	0.084
564/3	0.032

(1)	(2)
547/3ख	0.128
486	0.072
627/1	0.008
162/2	0.054
375/8	0.348
379	0.228
162/1ख	0.174
644	0.064
162/3	0.040
169/2	0.168
606	0.024
545	0.132
162/9	0.040
508	0.116
553/2क	0.088
551/1क	0.040
646/2	0.202
617/2	0.124
488/2	0.016
553/1	0.224
619/1	0.088
486/2	0.084
592	0.088
604/63	0.170
600/3	0.112
608/4	0.045
638/1क	0.174
605/3	0.028
167/2	0.028
162/10	0.081
487	0.020
604/8	0.028
564/1घ	0.012
553/2ख	0.088
162/11क	0.054
547/1क	0.084
564/1क	0.264
641/1,642	0.016
641/2	0.028
619/2	0.086
620/1	0.004
598/3	0.108
614/2	0.054
595	0.101
607	0.124
486/3ख,486/3ग	0.074
170/2	0.008
564/1ख	0.064
604/62	0.174
377/3	0.174
170/3	0.074
170/4	0.054
564/8, 564/5	0.192
646/1ख	0.256
645/2	0.128
170/1	0.008
619/3	[illegible]
629/2	0.008
593/2	0.124
168	0.008
598/5	0.032
375/8	0.004
167/1	0.052
योग 68	6.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना के स्पील चैनल हेतु अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-घरजियाबथान, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.482 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	787/1ख	0.186
	793	0.308
	787/2	0.194
	790/5	0.081
	798/1	0.113
	791	0.002
	799	0.509
योग	08	1.482

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.260 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14/2क	0.036
	4	0.064
	5/1	0.032
	3	0.040
	2	0.088
योग	5	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना के रास्ता निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चन्दरपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.212 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
438/12	0.060

(1)	(2)
437	0.036
438/10	0.032
434/2	0.084
योग 04	0.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना की मुख्य नहर C. H-175 से बेलडेगी माइनर N. 6 C. H. O. to 9.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.942 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58/1	0.526
6/1	0.008
61/2	0.192
7/2	0.004
58/2	0.125
7/1	0.164
61/1	0.607
61/4	0.193
59/1	0.974
10	0.020
62/3	0.345
61/3	0.192
11/1	0.276
60	0.182
63/3	0.134
योग 15	3.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना के स्पील चैनल हेतु अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बेलडेगी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.100 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
63/9ख	0.072
81/2	0.054
84/2	0.060
577	0.012
517/3	0.016
512/5	0.048
360	0.028
373/21ख	0.021
375/15	0.032
373/8	0.153
344/12, 416/2	0.093

(1)	(2)
424/1	0.072
336/9	0.056
69	0.204
80	0.054
88	0.440
514	0.056
516/1	0.036
526/1	0.032
373/16	0.102
373/21	0.021
382/1	0.016
411	0.024
419	0.020
424/3	0.034
344/2क	0.034
67	0.012
81/3	0.016
617	0.040
575	0.052
516/2	0.028
512/6क	0.148
373/19	0.166
329/2ख	0.028
383/2	0.139
373/27	0.101
336/9ग	0.072
344/6क	0.036
68	0.072
90	0.096
576/2घ	0.056
574/4	0.008
515/1क	0.172
375/4	0.092
373/18क	0.144
348/2	0.096
373/3	0.125
373/28क	0.064
420/1	0.065
344/6ख	0.053
73/12	0.052
82	0.048
576/2क	0.048
578/1, 579/1	0.196
512/11	0.032
375/5	0.036
373/21क	0.021
331	0.072
373/2	0.183
421	0.018
420/2	0.065
344/3	0.004
73/11	0.044
83	0.008
576/2ग	0.056
513	0.049
512/8	0.048
373/15	0.112
373/26क	0.032
375/8	0.137
373/28ख	0.068
344/11	0.036
423	0.008
344/5	0.057
योग 74	5.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घरजियाबथान जलाशय योजना की बेलडेगी नं. 6, 7, 8 एवं सब माइनर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-बटुराबहार, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.788 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
736/2	0.356

(1)	(2)
736/7	0.740
737/1	0.472
736/3	0.360
687/2	0.590
736/4	0.486
736/6	0.292
736/5	0.492
योग 08	3.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियाबथान जलाशय के स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.